भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

07.08.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2671 का उत्तर

कंचनजंघा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना की रिपोर्ट

2671. श्री सेल्वाराज वी.:
श्री सुब्बारायण के.:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंचनजंघा एक्सप्रेस रेल दुर्घटना की जांच करने वाले रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के निष्कर्षों का ब्यौरा और सार क्या है;

(ग) क्या आयोग ने स्वचालित सिगनलिंग खंडों में बड़ी संख्या में सिगनलिंग संबंधी विफलताएं पाई हैं और रेलवे प्राधिकारियों से स्वचालित सिगनलिंग प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए कार्य योजना विकसित करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

कंचनजंघा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना की रिपोर्ट के संबंध में दिनांक 07.08.2024 को लोक सभा में श्री सेल्वाराज वी. और श्री सुब्बारायण के. के अतारांकित प्रश्न सं. 2671 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): 17.06.2024 को 08:50 बजे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार मंडल के रंगापानी-चत्तरहाट ब्लॉक खंड में रेलगाड़ी सं. 13174 डाउन (कंचनजंघा एक्सप्रेस) और डाउन जीएफसीजे कंटेनर के बीच पीछे से टक्कर हुई। यह स्वचालित सिगनल व्यवस्था के साथ एक बड़ी लाइन, डबल लाइन, विद्‌युतीकृत खंड है।

उपर्युक्त मामले में, मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त (सीसीआरएस) द्‌वारा जांच का आदेश दिया गया है और अंतिम जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है। आरंभिक निष्कर्षों के आधार पर, नियमों में एकरूपता के मुद्‌दे पर कार्रवाई शुरू की गई है। वरिष्ठ रेल अधिकारियों की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। एकरूपता लाने के लिए संशोधन का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

****